भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

06.08.2014 को लोक सभा में

पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 3917

श्रमिकों द्वारा हड़ताल

3917. श्री राम चरित्र निषाद:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मीडिया रिपोर्टों के अनुसार तारापुर और भाभा परमाणु विद्युत स्टेशन में संविदा पर कार्यरत श्रमिक बढ़े हुए वेतनमान और स्थायी नौकरियों की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त श्रमिकों की मांगों के संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) तथा (ख) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) ने, अपने बिजलीघरों में ठेकेदारों द्वारा निष्पादित किए जा रहे कुछ गैर-क्रोड कार्यों को बाह्य स्त्रोतों से करवाया है। तारापुर, महाराष्ट्र स्थल (टीएमएस) पर, ठेकेदारों द्वारा नियोजित किए गए संविदा कर्मकार 24.02.2014 से 26.03.2014 तक की अवधि के दौरान लगभग एक माह के लिए हड़ताल पर रहे। इसी प्रकार, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी), तारापुर के ठेकेदारों द्वारा नियोजित किए गए कुछ कर्मकार 24.02.2014 से 24.03.2014 तक की अवधि के दौरान हड़ताल पर रहे।

इनकी मांगे निम्नलिखित थीं- 30 हजार रूपए प्रति माह का न्यूनतम वेतन; संविदा कर्मकारों को स्थायी पदों पर नियुक्त करना; निविदा अधिसूचनाओं में एक खंड जोड़ना कि सफल ठेकेदार मौजूदा कर्मकारों को नियोजित करना जारी रखेगा; संविदा कर्मकारों की संख्या में कोई कटौती न करना; पूर्व में नियोजित किए गए कर्मकारों की बहाली; न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा उन संविदा कर्मकारों को उस अवधि के लिए वेतन का भुगतान करना, जिन्हें उस दौरान किसी ठेकेदार द्वारा काम पर न लगाया गया हो; और तारापुर महाराष्ट्र स्थल (टीएमएस)/ भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, तारापुर में प्रत्येक कर्मकार को जब तक उसकी सेवाओं को नियमित नहीं किया जाता है, समान कार्य के लिए समान वेतन देना।

संविदा कर्मकारों को, संविदा श्रमिकों से संबंधित सभी सांविधिक दायित्वों के अनुपालन में स्थानीय सरकार अर्थात् महाराष्ट्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजूदरी से अधिक राशि का भुगतान किया जाता है। इसमें बोनस, भविष्य निधि आदि का भुगतान शामिल है। अत: उनकी मांगे उचित नहीं पाई गई हैं।

(ग) तथा (घ) संविदा कर्मकारों ने, सहायक श्रम आयुक्त, मुंबई के पास एक औद्योगिक विवाद का मामला दायर किया है, और उस मामले में समझौते की कार्रवाई चल रही है।

****